न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2023-133(GCMS2023-288)

1. किशनलाल पुत्र मंगलाराम जाट
2. रतनाराम पुत्र नारायणराम के कायममुकाम-
   2.1. शोभाराम पुत्र रतनाराम जाट
   2.2. गणपत पुत्र रतनाराम जाट
   2.3. शिवलाल पुत्र रतनाराम जाट
   2.4. सायरी पत्नी रतनाराम जाट
3. सोहनराम पुत्र हुकमाराम जाट
4. गोपालराम पुत्र हुकमाराम जाट
5. लुम्बाराम पुत्र कुम्भाराम जाट
6. पूनाराम पुत्र कुम्भाराम जाट
7. मूलाराम पुत्र कुम्भाराम जाट
8. जेठाराम पुत्र कुम्भाराम जाट
9. सुखराम पुत्र चौथाराम जाट
10. रामनिवास उर्फ रामपाल पुत्र चौथाराम जाट
   निवासीगण उस्तरा, तहसील भोपालगढ
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. सावन्तसिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत
2. छोटूसिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत
   निवासीगण रूदिया, तहसील भोपालगढ
   जिला जोधपुर
3. मनिष पुत्र भंवरलाल जाट (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता हपी पत्नी भंवरलाल जाट)
4. हपी पत्नी भंवरलाल जाट
5. मुनाराम पुत्र मोटाराम जाट
6. नौजी पत्नी मोटाराम जाट
7. समा पुत्री मोटाराम जाट
8. बेबी पुत्री मोटाराम जाट
   निवासीगण उस्तरा, तहसील भोपालगढ
   जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9. अणदाराम पुत्र पुरखाराम जाट
10. तुलछी पत्नी पुरखाराम जाट
निवासीगण रूदिया, तहसील भोपालगढ
जिला जोधपुर
11. पुरखाराम पुत्र जोगाराम बावरी
निवासी रूदिया, तहसील भोपालगढ
जिला जोधपुर
12. रूपसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत
13. रघुवीरसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत
14. फुम्बाकंवर पत्नी मोहनसिंह राजपूत
15. जेठूसिंह पुत्र पोलसिंह राजपूत
16. कानसिंह पुत्र पोलसिंह राजपूत
17. भगवानसिंह पुत्र पोलसिंह राजपूत
निवासीगण रूदिया, तहसील भोपालगढ
जिला जोधपुर
18. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार भोपालगढ
जिला जोधपुर
19. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, भोपालगढ
20. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,गंगाणी
21. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,बिराणी
22. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक, भोपालगढ

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ दिनांक 23 मई 2022 प्रकरण संख्या 2020/00034 (08/2020) अनवान सांवतसिंह व अन्य बनाम किशनलाल इत्यादि

उपस्थित-

श्री रामनिवास चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री ओमप्रकाश फडौदा, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 3 से 8

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 21
श्री देवीसिंह उदावत, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1,2,11,12,13,14,16 व 17

नि र्ण य

दिनांक : 29 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा प्रकरण संख्या 2020/00034(05/2020) अनवान सांवतसिंह व अन्य बनाम किशनलाल आदि में पारित आदेश दिनांक 23 मई 2022 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलोच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 11 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है। साथ ही भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर आलोच्य अपील अन्दर मियादशुमार किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थनापत्र अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 78 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम रूदिया तक आवागमन हेतु अन्य खातेदारान (अप्रार्थीगण) की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 126, 67, 68 व 124/3 से प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार रास्ता घोषित किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद आवश्यक कार्यवाही उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 मई 2022 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलोच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स आराजी खसरा संख्या 67 व 68 के रिकार्डेड खातेदारान है, रेस्पो. संख्या एक व दो कभी भी अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आते-जाते नहीं रहे है। मौके पर खसरा संख्या 127/3, खसरा संख्या 125, खसरा संख्या 124/5 व खसरा संख्या 124/4 के किनारे कटाणी रास्ता चलता है अर्थात खसरा संख्या 124/4 के कटाणी रास्ता पहले से ही मौजूद है, जिसका उपयोग कर रेस्पो.-प्रार्थीगण खसरा संख्या 124/4 की माठ के सहारे-सहारे चलकर अपनी खातेदारी भूमि तक आते-जाते रहे है। ऐसी स्थिति में रेस्पो. संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 78 तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 124/4 की माठ के सहारे-सहारे निकटतम दूरी का रास्ता दिया जा सकता था, मगर रेस्पो. 1 व 2 द्वारा संबंधित पटवारी एवं भू-अभिलेख से मिलीभगत कर अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में फर्जी रिपोर्ट तैयार करायी जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करायी गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों बाबत समुचित गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स पर समुचित एवं सम्यक तामील कराये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जिसकी समुचित समय में अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं हो पायी, दिनांक 26 जुलाई 2023 को पटवारी हळका अपीलाण्ट्स के पास चैक लेकर आने व अपीलाण्ट्स द्वारा चैक बाबत पूछताछ करने पर पटवारी द्वारा अपीलाधीन आदेश बाबत बताया गया, तब अपीलाण्ट्स दिनांक 28 जुलाई 2023 को विचारण न्यायालय में अधिवक्ता के जरिये नकल हेतु आवेदन किया और उसी दिन अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त होने पर सर्वप्रथम विधिवत अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी हुई और जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील मियादशुमार की जाकर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट्स पर समुचित तामील के बावजूद विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 27 जनवरी 2021 को उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया गया। मौका फर्द तैयार किये जाने के समय अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स मौके पर उपस्थित थे, मगर मौका फर्द पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय में समग्र कार्यवाही बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में जानकारी होने के उपरान्त भी आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी और विलम्ब का कोई ठोस, समुचित, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण भी प्रकट नहीं किया गया है। प्रार्थीगण-रेस्पो. द्वारा याचित रास्ता ही निकटतम् दूरी का रास्ता है। खसरा संख्या 124/4 के खातेदार को पक्षकार बनाया जाकर वहॉ से रास्ता दिया जावे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने आलौच्य अपील मियादबाधित एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 78 वाके ग्राम रूदिया तक आवागमन हेतु ग्राम रूदिया के खसरा संख्या 126, 67, 68 व 124/3 में से मौका फर्द में दर्शाये गये बिन्दु ए से एफ तक 15 फीट चौडा रास्ता घोषित किया गया है। जो मौका फर्द में दर्शाये गये नजरी नक्शा अनुसार खसरा संख्या 127/1 व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

127/3 की सीमाओं के मध्य अवस्थित रास्ते (जो खसरा संख्या 127/2 दर्शाया गया है) से आगे खसरा संख्या 126 से आरम्भ होकर रेस्पो. -प्रार्थीगण संख्या एक व दो की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 78 तक पहुँचता है। मगर विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द मय नजरी नक्शा दिनांक 12 जुलाई 2021 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त मौका फर्द में प्रस्तावित रास्ते से समानान्तर खसरा संख्या 125, 124/5 व 124/4 के सहारे-सहारे होना दर्शाया गया है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इसके संबंध में कोई गौर किया जाना प्रकट नहीं होता है। मौका फर्द मय नजरी नक्शा के अनुसार अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का यह कथन सारवान प्रतीत होता है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 78 तक आवागमन हेतु पहले से उपलब्ध रास्ते का उपयोग करते हुए उससे आगे खसरा संख्या 124/4 की माठ के सहारे-सहारे निकटतम दूरी का रास्ता दिया जा सकता था। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया है, जिससे अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, गुणावगुण के संबंध में अपील अपीलाण्ट्स सारवान पायी जाती है, अतः मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु बाबत नरम रवैया अपनाते हुए न्यायहित में अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 मई 2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम रूदिया स्थित आराजी खसरा संख्या 124/4 के रिकार्डेड खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को मामले में पक्षकार संयोजित किया जाकर अपीलाण्ट्स सहित उभय पक्षकारान को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और उपरोक्त ऑबजर्वेशनानुसार संबंधित नियमों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुरूप रेस्पो. संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 78 ग्राम रूदिया तक आवागमन हेतु न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध कराते हुए न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर